अनुबन्धित बस संचालन हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना

अनुबन्धित बस संचालन हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2012 तक निगम में अनुबन्धित होने वाली बसों हेतु निम्नवत प्राविधान लागू किये जाते हैं :–

प्रशासनिक शुल्क :–

(क) परिपत्र संख्या 3031रो/10–12रो/पीबी/2006 दिनांक 05.10.10 द्वारा निर्धारित प्रशासनिक शुल्क की दरों के स्थान पर विशेष प्रोत्साहन योजना अवधि में प्रशासनिक शुल्क दिनांक 01.09.2010 से पूर्व विभिन्न श्रेणी हेतु अनुबन्धित बसों के लिए निर्धारित प्रशासनिक शुल्क की दरों के समान रहेगा। यह पूर्ववत् निर्धारित दरें निगम में नवीन अनुबन्ध होने वाली बसों पर लागू की जाएगी।

(ख) दिनांक 01.09.2010 से परिपत्र जारी होने की तिथि के मध्य निगम में अनुबन्धित होने वाली बसों पर परिपत्र संख्या 3031रो/10–12रो/पीबी/2006 दिनांक 05.10.10 के अनुसार ही प्रशासनिक दरें लागू रहेंगी।

(ग) यदि आवंटित मार्ग की लम्बाई 100 कि0मी0 से अधिक है तो अतिरिक्त कि0मी0 के लिए एक पैसा प्रति कि0मी0 अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क देय होगा।

(घ) वर्तमान में अनुबन्धित बसों के मार्गो का परिवर्तन, मार्गो का विस्तार अथवा मार्गों की दूरी कम करने की दशा में परिपत्र संख्या 3031रो/10–12रो/पीबी/2006 दिनांक 05.10.2010 के अनुसार बढ़ी हुई प्रशासनिक दरें ही लागू की जायेंगी।

बस की आयु में छूटः–

वर्तमान योजना में मात्र नई बसें ही अनुबन्ध में लेने का प्राविधान है। विशेष प्रोत्साहन योजना अवधि में निगम में अनुबन्धन हेतु उपलब्ध होने वाली बसों की आयु में निम्नवत छूट प्रदान की जाती हैः–

मार्ग की श्रेणी	अनुबन्धन के समय बस की अधिकतम आयु	श्रेणीवार अनुबन्धन की अधिकतम आयु सीमा
क	1 वर्ष	5 वर्ष
ख	3 वर्ष	8 वर्ष
ग एवं घ	5 वर्ष	10 वर्ष

श्रेणीवार बस की अधिकतम निर्धारित आयु पूर्ण होने पर बस का अनुबन्धन आयु के अनुसार उससे निम्न श्रेणी में निर्धारित मार्ग पर किया जायेगा, तथा बस स्वामी को पूर्व श्रेणी के मार्ग पर नई बस अनुबन्धन हेतु विकल्प/अवसर दिया जाएगा। तद्नुसार ही अनुबन्ध की अवधि भी बस की आयु के अनुसार निर्धारित होगी।

उक्त योजना में नई बस अथवा निगम से अन्यत्र संचालित बस का ही अनुबन्धन किया जायेगा, निगम में वर्तमान में संचालित अनुबन्धित बसों का विशेष प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुनः अनुबन्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्राविधान विशेष प्रोत्साहन योजना अवधि में बस स्वामी द्वारा दिनांक 31.12.2011 तक बस की प्रतिभूति राशि जमा कराने तथा दिनांक 31.01.2012 तक अनुबन्धन हेतु बसें उपलब्ध कराने की दशा में ही लागू होगें।

भुगतान प्रक्रिया :–

अनुबन्धित बस स्वामी के विभिन्न मदों में दैनिक व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा बस स्वामी को दैनिक आधार पर भुगतान का प्राविधान किया जाता है। इसके अन्तर्गत बस स्वामी को निगम में जमा की गयी दैनिक बस संचालन से प्राप्त कुल आय का 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान प्रतिदिन किया जायेगा, जो रू0 100/– के गुणांक में आंकलित किया जायेगा, जिसका समायोजन वाहन स्वामी के मासिक भुगतान से किया जायेगा। बस स्वामी द्वारा स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि (प्रमाणित पहचान) द्वारा भुगतान प्राप्त किया जायेगा, अनुबन्धित बस स्वामी को भुगतान किये जाने के पश्चात भुगतान की राशि का नियमित रूप से सत्यापन डिपो लेखाकार एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा। बस की आय शत प्रतिशत निगम कोष में जमा करने के पश्चात् ही उपरोक्तानुसार भुगतान किया जायेगा। **यह प्राविधान वर्तमान में संचालित समस्त अनुबन्धित बसों पर (ए0सी0/ वाल्वो/लग्ज़री बसों को छोड़कर) भी लागू होगा तथा विशेष योजना अवधि के पश्चात भी प्रभावी रहेगा।**

पूर्व में जारी/स्वीकृत टेण्डरों के विरूद्ध योजना अवधि में अनुबन्धन हेतु उपलब्ध करायी गयी बसों पर भी उक्त प्रोत्साहन योजना के प्राविधान प्रभावी होगें।